<u>आम–सूचना</u>

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
(छराविमं की एक उत्तरवर्ती कंपनी)

रायपुर, दिनांक.....

छत्तीसगढ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 में विहित प्रावधानों एवं छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाये गये संबंधित विनियमों में विहित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिये माननीय छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्तुत की गई है । कम्पनी के अनुमान के अनुसार वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिये राजस्व आवश्यकता क्रमशः रू. 1931.08 करोड और रू. 2019.42 करोड है अतः कम्पनी द्वारा वार्षिक राजस्व आवष्यकता की कमी की पूर्ति के लिये उत्पादन लागत में तदानुसार वद्धि प्रस्तावित की है। प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार उत्पादन लागत निम्नानुसार है :–

विवरण	वर्ष 2008–09	वर्ष 2009–10
सकल उत्पादन (मिलियन यूनिट में)	11882	11739
वार्षिक राजस्व आवष्यकता (रू. करोड में)	1931.08	2019.42
औसत उत्पादन लागत (रू. / केडब्ल्यूएच)	1.63	1.72

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
(छराविमं की एक उत्तरवर्ती कंपनी)

छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं 86(1)(a) में विहित प्रावधानों एवं छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाये गये संबंधित विनियमों में विहित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिये माननीय छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्तुत की गई है । कम्पनी के अनुमान के अनुसार वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिये राजस्व आवश्यकता क्रमशः रू. 236.25 करोड और रू. 285.34 करोड है

अतः कम्पनी द्वारा वार्षिक राजस्व आवष्यकता की कमी की पूर्ति के लिये पारेषण लागत में तदानुसार वद्धि प्रस्तावित की है। प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार पारेषण लागत निम्नानुसार है :–

विवरण	प्रस्तावित	प्रचलित
पारेषण हानि क्षतिपूर्ति	5.01 प्रतिषत	4.03 प्रतिषत
लांग टर्म ओपन एक्सेस उपभोक्ता (रू./मेवा/प्रतिमाह)	81995	63030
शार्ट टर्म ओपन एक्सेस उपभोक्ता (रू./मेवा/प्रतिदिन)	674	518